Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुंझुनू में ए.डी.जे. न्यायालय, चिड़ावा के लोक अभियोजक (पी.पी.) एवं टाईपिस्ट (प्राईवेट व्यक्ति) को 55 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *30 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की झुंझुनू एवं सीकर इकाइयों द्वारा आज संयुक्त रूप से झुंझुनू में कार्यवाही करते हुये ए.डी.जे. न्यायालय, चिड़ावा के लोक अभियोजक (पी.पी.) मोहम्मद खादिम एवं टाईपिस्ट जितू (प्राईवेट व्यक्ति) को 55 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. झुंझुनू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध थाना चिड़ावा में दर्ज मामले में मदद करने एवं मुलजिम कम करने की एवज में मोहम्मद खादिम लोक अभियोजक (पी.पी.) न्यायालय ए.डी.जे. चिड़ावा एवं पुलिस थाना चिड़ावा के कानि. (रीडर) अनिल कुमार द्वारा 55 हजार रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की झुंझुनू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ईस्माईल खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **ए.सी.बी. सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर एवं पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चन्द** तथा ए.सी.बी. झुंझुनू तथा सीकर की संयुक्त टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मोहम्मद खादिम हाल लोक अभियोजक (पी.पी.) न्यायालय ए.डी.जे. चिड़ावा द्वारा रिश्वत की राशि 55 हजार रूपये जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री पवन कुमार निवासी वार्ड नं. 16, चिड़ावा हाल प्रोपराईटर, जीतू टाईपिंग चिड़ावा (प्राईवेट व्यक्ति) को दिलवाने पर दोनों को मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी चिड़ावा लक्ष्मीनारायण पुलिस निरीक्षक एवं कानि0 (रीडर) अनिल कुमार ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गये हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।